प्रारूप

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल

चयन/ भर्ती परीक्षाओं के संबंध में विभाग से प्राप्त किये जाने वाली वांछित जानकारी का मांग पत्र

कार्यालय का नाम	विवरण	विभागाध्यक्ष / नियुक्ति प्राधिकारी	नोडल अधिकारी
	अधिकारी का नाम		
	पदनाम		
	दूरभाष नंबर		
	मोबाईल नंबर		
	इमेल		
प्रशासकीय विभाग का नाम :-			

प्रत्येक पद एवं भर्ती के प्रकार हेतु पृथक-पृथक भरा जावेगा

पद का नाम ....

भर्ती का प्रकार - (सीधी भर्ती / सीधी भर्ती–बैकलाग / संविदा भर्ती) ....

सेवा समूह - (तृतीय श्रेणी / चतुर्थ श्रेणी) ....

पद का प्रकार - (कार्यपालिक / अकार्यपालिक) ....

वेतनमान :- ....

(1) पदवार, श्रेणीवार व संवर्गवार कुल रिक्त पदों की आरक्षण तालिका (अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण अनुसार) :-

क्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		दिव्यांगजनों हेतु आरक्षित पद	योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)							दिव्यांगजनों की कुल .... रिक्तियों में से ......=VH, ...=EH, ...=LD एवं ....=MD दिव्यांगजनों के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी के दिव्यांगजन इन पदों लिये चयनित होगा, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है।	
2.	ई.डब्लू.एस.								
3.	अनुसूचित जाति (SC)								
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)								
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)								
	योग -								

(सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिव्यांगजनों हेतु जारी आदेश क्रमांक एफ-8/4/2001/आप्र/एक (पार्ट) भोपाल, दिनांक 03.07.2018 पालन करते हुये दिव्यांगजन के पदों को प्रत्येक श्रेणी के ओपन की रिक्तियों में समाहित कर आरक्षण तालिका प्रस्तुत करें।)

-2-

(2) याचिका क्रं. WP-18105/2021 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 04 अगस्त, 2023 को पारित अंतरिम आदेश के दृष्टिगत अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-07-37/2021/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 27 जनवरी, 2024 में दिये गये दिशानिर्देशो के अनुसार **<u>उपरोक्त आरक्षण तालिका में अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण अनुसार कुल 87 प्रतिशत पदों की श्रेणीवार व संवर्गवार मुख्य आरक्षण तालिका :-</u>**

क्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		दिव्यांगजनों हेतु आरक्षित पद	योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)							दिव्यांगजनों की कुल .... रिक्तियों में से ......=VH, ...=EH, ...=LD एवं ....=MD दिव्यांगजनों के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी के दिव्यांगजन इन पदों लिये चयनित होगा, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है।	
2.	ई.डब्लू.एस.								
3.	अनुसूचित जाति (SC)								
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)								
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)								
	योग -								

(सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिव्यांगजनों हेतु जारी आदेश क्रमांक एफ-8/4/2001/आप्र/एक (पार्ट) भोपाल, दिनांक 03.07.2018 पालन करते हुये दिव्यांगजन के पदों को प्रत्येक श्रेणी के ओपन की रिक्तियों में समाहित कर आरक्षण तालिका प्रस्तुत करें।)

(3) शेष 13 प्रतिशत पदों की प्रावधिक / काल्पनिक आरक्षण तालिका (मा. उच्च न्यायालय के निर्णयाधीन) :-

स.क्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	दिव्यांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) (प्रावधिक)						
1.	अनारक्षित (UR) (काल्पनिक)						

न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :--

आवश्यक निर्देश :-

1- मण्डल द्वारा अभ्यर्थियों से केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेगे, जिसके साथ कोई भी दस्तावेज प्रमाण पत्र संलग्न कर नहीं मंगाये जायेगें, समस्त मूल दस्तावेजों / मूल प्रमाण पत्रों का परीक्षण/सत्यापन विभाग द्वारा नियुक्ति के पूर्व किया जायेगा। साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. स 3-14-2015-3-एक, दिनांक 06 जनवरी 2016 के अनुसार सम्बंधित विभाग द्वारा नियुक्ति के देने के पूर्व अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक परीक्षण सुनिश्चित किया जाना है|

2- आवेदक के लिए आवश्यक शैक्षणिक / तकनीकी / व्यावहारिक अर्हता एवं पद कार्यपालिक/ अकार्यपालिक का स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक है|

3- सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश सी 3-5-2015-एक, दिनांक 31 जुलाई 2015 के अनुसार पदों हेतु न्यूनतम अर्हता के अतिरिक्त वांछनीय योग्यता / अनुभव या इसके आधार पर वरीयता दिए जाने का उल्लेख स्वीकार्य नहीं होगा|

4- मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 04 अक्टूबर 2013 एवं इसके संशोधनों में उल्लेखित भर्ती परीक्षा हेतु निर्धारित समूहों की निर्धारित योग्यता / अर्हता के अतिरिक्त यदि योग्यता / अर्हता है तो इस हेतु सामान्य प्रशासन विभाग से अनुमति (पृथक परीक्षा हेतु) आवश्यक है|

5- पदों पर भर्ती हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के समस्त आदेश, नियम, परिपत्र का पालन आवश्यक है। मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 04 अक्टूबर 2013 की कंडिका 16(3)(क) अनुसार बार्ड द्वारा पदों की संख्या एवं आरक्षण तालिका की गणना नहीं की जाएगी । आरक्षण रोस्टर की गणना में यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो यह सम्बंधित विभाग की जिम्मेदारी रहेगी, मण्डल इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

6- पदों की आरक्षण तालिका के निर्धारण में निम्न लिखित नियमो / आरक्षण नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है -

(I) अनुसूचित जाति- 16%

(II) अनुसूचित जनजाति- 20%

(III) अन्य पिछड़ा वर्ग - 27% (राजपत्र क्रमांक 117 दिनांक 08 मार्च 2019 एवं परिपत्र क्र 07-55/2021/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 31/01/2022) (याचिका क्रं. WP-18105/2021 में मा. उच्च न्यायालय के निर्णयाधीन)

(IV) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग -10% (आदेश क्रमांक एफ 07-11/2019/आप्र/एक भोपाल दिनांक 02 जुलाई 2019)

(V) दिव्यांगजन हेतु निर्धारित आरक्षण (आदेश क्रमांक एफ-8/4/2001/आप्र/एक(पार्ट) भोपाल, दिनांक 03.07.2018)

(VI) वैध रोजगार पंजीयन एवं आयु सीमा निर्धारण नियम (आदेश क्रमांक सी 3-8/2016/1/3 भोपाल दिनांक 04 जुलाई 2019)

(VII) अन्य निर्धारित क्षैतिज आरक्षण यथा महिला, भूतपूर्व सैनिक इत्यादि|

7- संविदा अधिकारी/कर्मचारी हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक सी-5-2/2018/1/3 भोपाल, दिनांक 22.07.2023 के पालनार्थ संविदा कर्मचारी हेतु पृथक से सभी आरक्षण नियमों का समावेश कर आरक्षण तालिका पत्रक प्रस्तुत करे।

8- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश क्र. सी-3-9/2019/1/3, दिनांक 22 फरवरी 2022 एवं समसंख्यक आदेश दिनांक 06 अप्रेल 2023 के अनुसार विभिन्न वर्गों को प्राथमिकता तथा प्राप्तांकों के 5 प्रतिशत बोनस का प्रावधान होगा।

-4-

9- निर्धारित प्रारूप नियमों के प्रत्येक पृष्ठ पर सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर व सील सहित प्रति (हार्डकापी) व सॉफ्ट कापी (मंगल फोंट में) में आवश्यक रूप से उपलब्ध कराये।
मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित विभागीय भर्ती नियम/गजट की सत्यापित प्रति संलग्न किया जाना आवश्यक है।

10- सामान्य प्रशासन विभाग के आदेशानुसार आवेदक की आयु सीमा की गणना भर्ती के चालू वर्ष की 1 जनवरी की स्थिति में किया जाना है।

11- मध्यप्रदेश शासन वित विभाग के ज्ञाप क्रमांक 2030/चार/नि-2 दिनांक 22.06.63, 750/1166/चार, दिनांक 08.08.94 के अनुसर लिखित परीक्षा में उपस्थित होने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय का भुगतान ई-पेमेन्ट के माध्यम से विभाग द्वारा किया जायेगा। इस हेतु आवश्यक जानकारी विभाग मण्डल से प्राप्त करेगा।

12- सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल द्वारा जारी आदेश अनुसार अकार्यपालिक पदों हेतु बैगा, सहारिया एवं भारिया जाति के अभ्यर्थियों की भर्ती उपरान्त केवल अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में ही (उक्त जातियों की नियुक्ति के पश्चात् पदों में कमी) आरक्षण तालिका में संशोधन स्वीकार किये जावेंगे। यदि उक्त संशोधन में पदों में वृद्धि प्रेषित की जाती है तो उन पदों को आगामी परीक्षा में सम्मिलित किया जावेगा।

13- परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने के पश्चात् विभाग के पद विलोपन के अनुरोध स्वीकार्य नहीं होंगे| विषम परिस्थिति में परीक्षा आयोजन उपरांत विभाग के किसी पद विलोपित अथवा परीक्षा निरस्त करवाने पर संबंधित विभाग को परीक्षा के संपूर्ण व्यय (यथा प्रति अभ्यर्थी मण्डल द्वारा किया गया परीक्षा का व्यय, अभ्यर्थी का परीक्षा शुल्क, विज्ञापन में हुआ व्यय इत्यादि) का वहन करना होगा।

14- अन्य आवश्यक विवरण (यदि विभाग बताना चाहे) ....
....

घोषणा - पत्र

उपरोक्त शर्तो के अंतर्गत विभाग.. द्वारा घोषणा की जाती है कि प्रस्तुत मांग पत्र राज्य शासन द्वारा जारी नियमानुसार राजपत्र, नियमों एवं उपरोक्त अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है एवं विभाग उपरोक्त अनुदेशों में वर्णित तथ्यों के लिए उत्तरदायी रहेगा ।

स्थान :-
दिनांक :-

विभाग प्रमुख के हस्ताक्षर
नाम एवं पदनाम
पदनाम सहित मोहर

कार्यालय का नाम : ....

प्रशासकीय विभाग का नाम : --

रिक्त पदों का पदवार विवरण

क्र	पदनाम	सेवा समूह (तृतीय / चतुर्थ श्रेणी)	भर्ती का प्रकार			कार्यपालिक/अकार्यपालिक	वेतनमान	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता	अनारक्षित पद		आरक्षित पद										योग
											ई.डब्लू.एस.		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अन्य पिछड़ा वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		
			सीधी भर्ती	सीधी भर्ती-बैकलॉग	संविदा भर्ती				ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.																					
2.																					
3.																					
4.																					

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा द्विव्यांगजनो हेतु जारी आदेश क्रमांक एफ-8/4/2001/आप्र/एक (पार्ट) भोपाल, दिनांक 03.07.2018.पालन करते हुये द्विव्यांग के पदों को प्रत्येक श्रेणी के ओपन में समाहित कर आरक्षण तालिका प्रस्तुत करें ।